



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 9] नई दिल्ली, फरवरी 25—मार्च 3, 2018, शनिवार/फाल्गुन 6—फाल्गुन 12, 1939
No. 9] NEW DELHI, FEBRUARY 25—MARCH 3, 2018, SATURDAY/PHALGUNA 6—PHALGUNA 12, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2018

सा.का.नि. 65.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक भर्ती नियम, 1986 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।
(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक भर्ती नियम, 1986 में :-

(I) नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्-

“2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में विनिर्दिष्ट स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।”

(II) अनुसूची में,

(क) स्तंभ (4) में,-

(i) स्तंभ शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर”

(ii) प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रु.)”

(ख) स्तंभ (12) में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रु.) में स्तर-7 में श्रेणी में 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक।

[फा. सं. 10ए12/6/2016-एडी-IIबी]

नगेन्द्र कुमार, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 1111 तारीख 27.12.1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।
(फा. सं. ए12018/7/85-एडी-IIबी)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 27th February, 2018

G.S.R. 65.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Superintendents of Central Excise Recruitment Rules, 1986, namely: -

1. (i) These rules may be called the Superintendents of Central Excise Recruitment (Amendment) Rules, 2018.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Superintendents of Central Excise Recruitment Rules, 1986, -
 - (I) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely: -

“2. Number of post, classification and Level in the Pay Matrix.—The number of the said post, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.”;

(II) in the Schedule, -

(a) in column (4), -

(i) for the column heading, the following column heading shall be substituted, namely:-

“Level in the Pay Matrix”;

(ii) for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

“Level 8 in the Pay Matrix (Rs. 47600-151100)”;

(b) in column (12), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

“Inspector of Central Excise in Level 7 in the Pay Matrix (Rs. 44900-142400) with 8 years regular service in the grade.”

[F. No. 10A12/6/2016-Ad.IIB]

NAGENDRA KUMAR, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. 1111 dated 27.12.1986 [F. No. A.12018/7/85-Ad.IIB].